10-04-26

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ब) के तहत चाहा गया है कि आवासीय संपरिवर्तित भूमि होकर अगर किसी न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत संपरिवर्तित भूमियों का प्रबन्धकीय राजस्व न्यायालय का क्षेत्र होता है अतः संपरिवर्तित भूमि में से हल्का किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थी की प्रार्थना उस अन्तर्गत धारा 251(ब) RTA 1955 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से गुम हो।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा